

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

पत्रांक 268 / 2ई०

दिनांक 14/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/27119/2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/५७/२०१८/एफ०सी०/१५७ दिनांक 15.05.2024

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है:-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली गयी है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
प्रतिपूरक वनीकरण:-		
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्राम बिजोरिया झाल खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजोरिया झाल खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जायेगी।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तवों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। (पत्र संलग्न-03)
8	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचोंबीच पौधों की संख्या बढ़ायेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न-04)
11	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लाइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लाइनेज लगा दिये गये हैं।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वनभूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।

18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया गया है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की गयी है।
20	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ले ली जायेगी।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न-चार प्रतियों में।

पत्रांक 168 /2ई0

दिनांक 14 /02/2025

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
14/02/25
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

14/02/25
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
&
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/06/57/2018/एफ.सी. 157

दिनांक: 15/05/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/27119/2017)
संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3732/1 जी -FP/UK/ROAD/27119/2017 दिनांक 19.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार- जनपद - बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

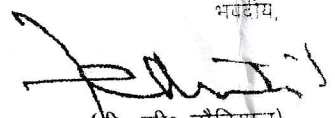
1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजोरिया झाल, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.519 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

फोटो प्रतिसत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 123 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कटाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,



(टी० सी० नोटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (क०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वागेश्वर वन प्रभाग, वागेश्वर।
4. आदेश पत्रावली।

(टी० सी० नोटियाल)

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं नो-मि०

कम्प्यूटर (प्रशासन)

उप महानिरीक्षक, वन (क०)

[illegible][illegible]

1-1735 H.1.12

2025-02-02
10:10 AM

DEAN HIL

- 109

1942-1943 23:19 0101

THE UNITED STATES OF AMERICA

4-112K

1 Q. Did he have any other children?

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

የጋራ የጥያቄ ደረጃ 2/4 ከተሰጠ በኋላ በጥራት ይገኛል

4/14 "በሰላም ላይ በሆነ ሁኔታ የሚኖሩ የሕይወት ሁኔታዎችን ለማሻሻል የሚችሉ የሥራ እድሎችን ለማግኘት ይገባል።"

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 17

[illegible]

Kh. Inik Pyhile

እድገቱ ዘገፈ፣ ጊዮክቱ ከቤቱ ነፃ ይሆናል
ከቤቱ ነፃ ይከፈክ ከቤቱ

ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା, ୨୦୦୬ ଓ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ

(12/12/17) 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 12 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 11 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 10 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 9 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 8 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 7 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 6 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 5 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 4 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 3 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 2 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 1 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

कार्यालय उप विभागाधिकारी कचहरी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों की अतिरिक्त 2006 के तहत समाज-उप

उपखण्ड स्वीकृत राशि

214000

उपखण्ड कचहरी फंड के लिए योजना के अंतर्गत दरखास्त से सीमा तक 4.00 करोड़ रुपए मूल पर परिवर्तन के निम्न (0.607 है आरक्षित वन भूमि, बिना वन भूमि 1.912 है, वन पराप्त भूमि 0.00 है, अर्थात् कुल 2.519 है वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कचहरी प्रशासन एवम् के वन भूमि पर परिवर्तन किंचित वन भूमि है अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त

अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त

शेडक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि वन अधिकारी की अर्थात् वन भूमि के वन भूमि पर परिवर्तन किंचित वन भूमि है अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त

मासिक राशि की कार्यवाही निम्नानुसार है।

| | | | |
|---------|---------|-----------------|--|
| 1- श्री | 19/5/17 | वर्गाधिकारी | अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त |
| 2- श्री | 19/5/17 | उप विभागाधिकारी | अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त |
| 3- श्री | 19/5/17 | विभागाधिकारी | अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त |
| 4- श्री | 19/5/17 | विभागाधिकारी | अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त |

Sub Divisional Magistrate
Kashipur (Bachawat)

उपखण्ड स्वीकृत राशि द्वारा मासिक राशि का वृद्धि व वृद्धि के लिए उपखण्ड स्वीकृत राशि की कार्यवाही प्रमाण की गई मासिक राशि की अर्थात् वन भूमि के वन भूमि पर परिवर्तन किंचित वन भूमि है अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त

प्रमाणित की जायेगी कि यह है।

(2)

कोई प्रति प्रमाणित
विभागाधिकारी
अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्गों (वन अधिकारी की मायानुसार) अतिरिक्त 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्वीकृत राशि (उपर्युक्त कचहरी) की दिनांक 19/6/17 को समाप्त

2006-07

(अध्यापक) अध्यापक
विशेष शिक्षण अधिकारी
विशेष शिक्षण अधिकारी
कोई भी विद्यालय

2006-07
2006-07
विशेष शिक्षण अधिकारी
(अध्यापक) अध्यापक
विशेष शिक्षण अधिकारी

2006-07
2006-07
2006-07

विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय

2006-07
2006-07
विशेष शिक्षण अधिकारी
(अध्यापक) अध्यापक
विशेष शिक्षण अधिकारी

2006-07
2006-07
2006-07

विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय
विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय
विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय

विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय
विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय
विशेष शिक्षण अधिकारी को कोई भी विद्यालय

ANNEXURA-I

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of *Smt. RANJANA VERMA* A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date *21.06.17* at time *11.00 am* at Bageshwar in which application claiming rights in *Simal Gola* area measuring **2.519** hect for the **Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection & claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

21/06/17

21/06/17
District Level Committe

फोटो प्रति सत्यापित
रक्षा बल अभियन्ता
निर्माण खण्ड पो. नि. वि. ०
कापकोट (बागेश्वर)

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated... 21.6.17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.519** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwar** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.519** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it:.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated 21-6-17

Signature

Distriet Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

फोटो प्रतिस्थापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated...21-6-17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.519** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwar**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.519** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Sima (Chakam) Village (s)** is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive groups and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

फोटो प्रतिसत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड ले०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

District Collector
Bageshwar

कोई प्रति सम्पादित
सहायक अधीक्षक
निम्नलिखित विभाग (कक्षा 10)

विभागाध्यक्ष
गणेशपुर

2/1/2011

होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लक्षित नहीं है।
जंगल/वन/वासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित
किसी अनुसूचित जंगल/वन/वासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी
अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से
बाधित तथा सम्बन्धित भूमि खण्डों द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण-पत्र निर्मित किया गया है। वन
को प्रभावित किसे जाने हेतु वन विभागाधीन/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्राप्ति
निर्माण हेतु 251980 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कम्पोर्ट प्रयोग एवं
निर्माण योजना के अनुसार दस्तावेजों से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग का

विभागाधीन द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- विना योजना के अनुसार दस्तावेजों से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग
का वनभूमि प्रस्ताव उपखण्ड लोक निर्माण विभाग की दस्तावेजों पर
प्रस्ताव

फोटो प्रति सत्यापित
 सहितक अभिलेख
 निर्माण खण्ड लॉन्गिनिंग
 कपकोट (गोश्वर)

निर्वाहिका
 गोश्वर

(Groups) प्रभाव नहीं हो रहे हैं।

(Primitive Tribal Groups) व आदिवासी कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal) विद्यमान परिवर्तनों के निर्माण हेतु आवेदन वन व कृषि भूमि पर आदिवासी वनवासी समूहों के प्रकल्पों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से तुलना किया गया है। (linear) परिवर्तन भू-संक, नहर, पारंपरिक बाढ़, ओवरफ्लो कंट्रोल व पाइपलाइन विद्यमान भू-संक, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफओसी दिनांक 05-02-2013 के द्वारा स्थापना को प्रभावित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, परिवर्तन एवं वन निर्माण हेतु 2.519 है वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रभावित एजेंसी) विभाग योजना के अन्तर्गत हस्तांतरण से सीमा तक 4.00 किमी मीटर भूमि को

निर्वाहिका द्वारा प्रदान प्रमाण-पत्र

परिवर्तनों का नाम:- विभाग योजना के अन्तर्गत हस्तांतरण से सीमा तक 4.00 किमी मीटर भूमि को वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव

(28/11/20) 24/11/20
09/11/20 24/11/20
24/11/20 24/11/20
24/11/20 24/11/20

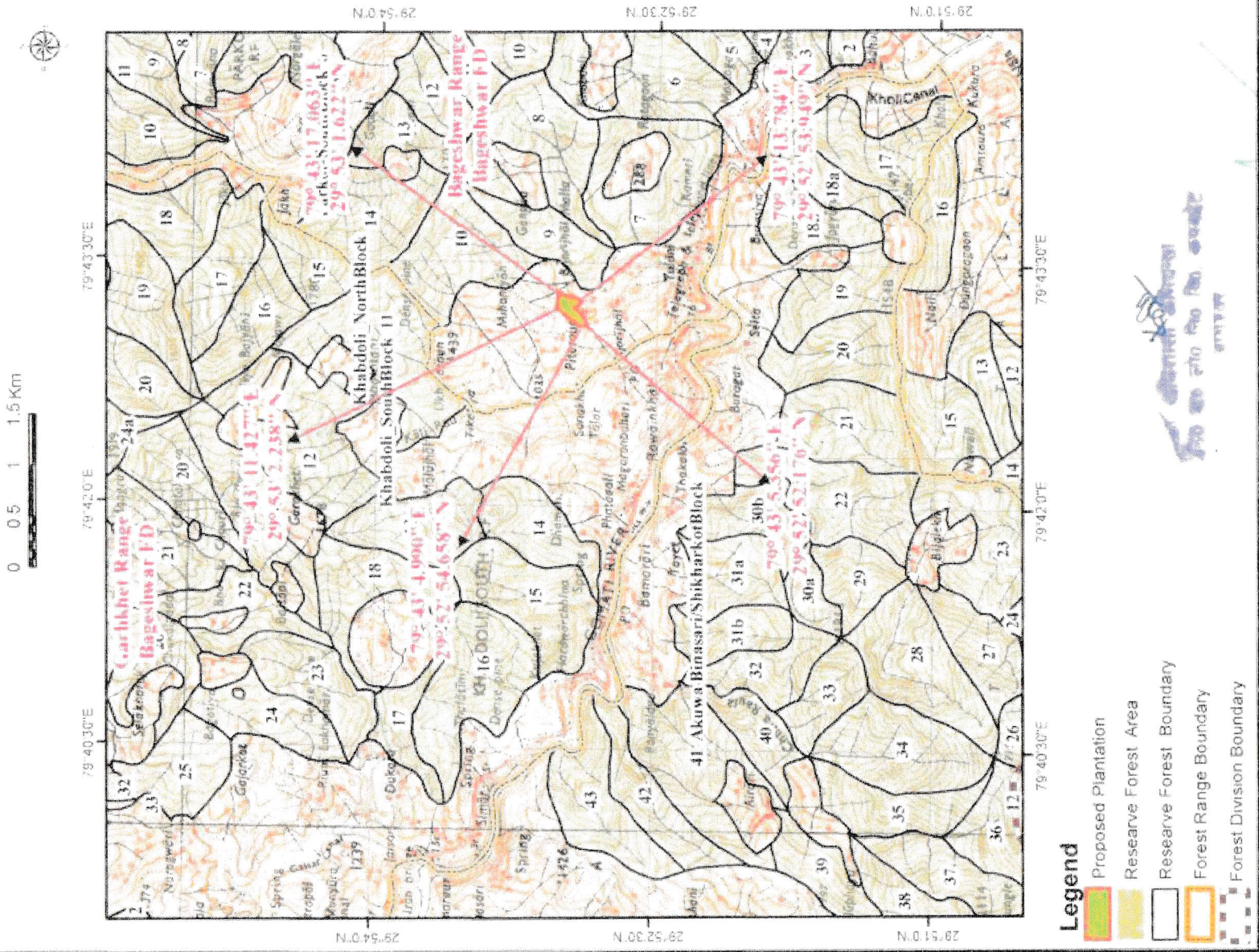
২৭৫৫
 '০৭/০৮/০৯' '১৯৯৯' ১৭/৮/৯৯
 ১৭/৮/৯৯ ১৭/৮/৯৯
 ১৭/৮/৯৯

കൃഷ്ണഭാര്യ

प्रमाणित किया जाता है कि जगद्वद बगैर के विद्यार्थियों को कथकोट में निरा
शोना के अन्तर्गत दखलीला की रीति तक (4.00किमी०) मोटर मार्ग निर्माण हेतु में स्थानीय
कारतकारों की विरोधी भावना सङ्क निर्माण में काटी जायेगी, उस रीति का मुआवजा नियमानुसार
निर्वाहकारी, बगैरद्वद द्वारा उपलब्ध राकिल दलों के आधार पर अनुमान लोक निर्माण विभाग करेगा।
श्री श्री-रक्षणी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आशितों को नियमानुसार निर्वाहकारी सहित
द्वारा रीति अधिपति कर मुआवजा कारतकारों को विभाग द्वारा विवरित किया जायेगा।

Kh lkh

डिजिटल मैप - जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 10.00 किमी० मोटर के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बीजोरी झाल सिविल सोयम (क्ष०-5.038 है०)



10/7/20

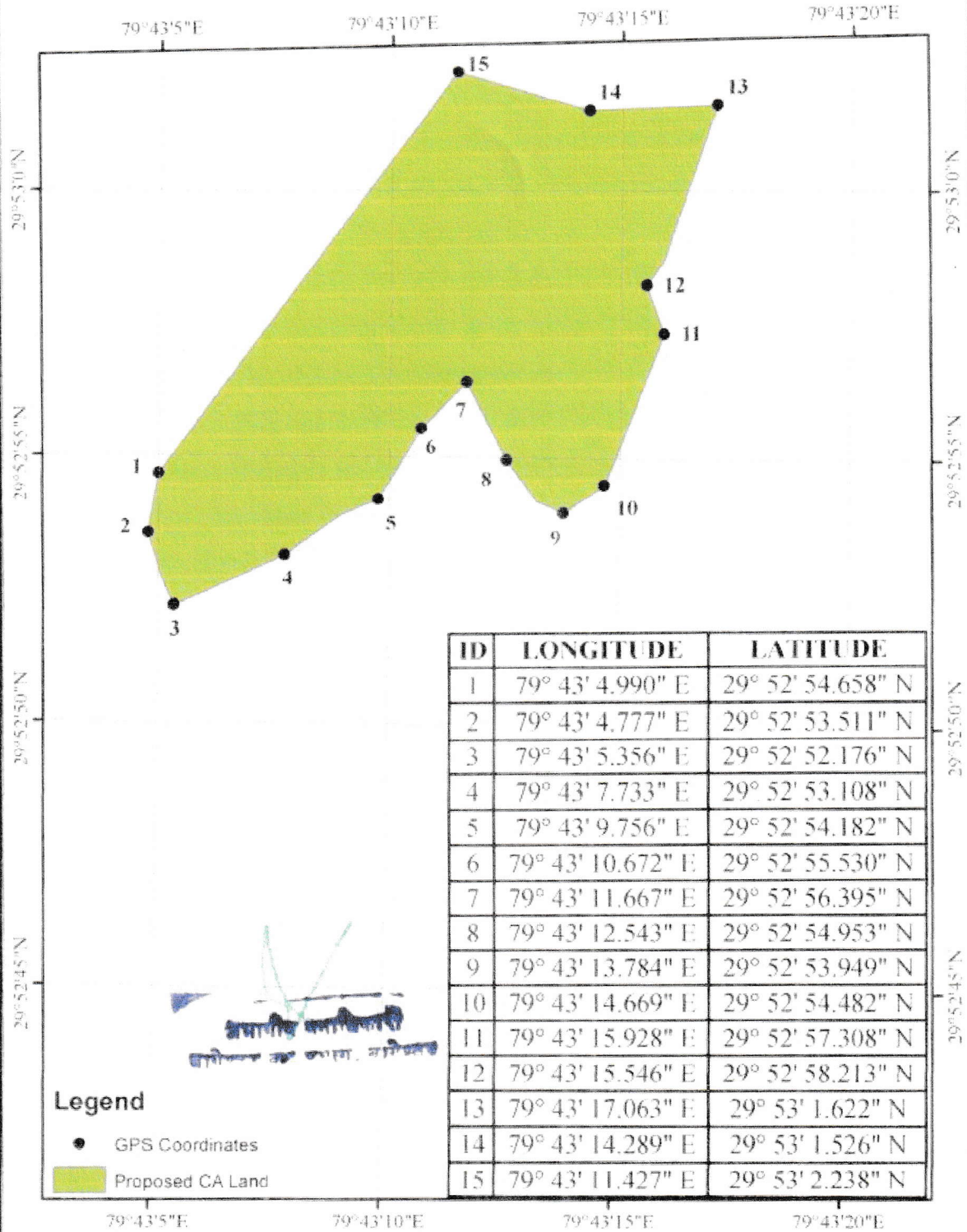
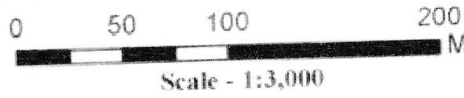
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोडिंग विभाग
दुधकोट

प्रसंगिक जानकारी
बागेश्वर एवं दुधकोट

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

जीयोरेफ़रेन्स मैप-जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बीजोरी झाल सिविल सोयम (क्षे०-5.038है०)



Konwar
J/e.

सहायक जिला अधिकारी
जिला बागेश्वर जिला बागेश्वर
बागेश्वर

जिला बागेश्वर
जिला बागेश्वर
जिला बागेश्वर

फोटो प्रति स्थापित
सहायक अभियन्ता

| Sl. No. | Beneficiary | Account Type | IFSC CODE | Account No | Gross Amount | Total Deduction | Advance Amount | Net Amount |
|---------|--|--------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | OP8902422701221001
Mr Uttaranchal Campa | Saving | UBIN0903710 | 150896127119021 | 3523587 | 0 | 0 | 3523587 |
| | | | | | 3523587 | 0 | 0 | 3523587 |

फोटो प्रति सत्यापित
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खाण्ड लो०नि०वि०
 कपकोट (बागेश्वर)

Print Date - 5-8-2024

Transaction ID - WO8902422701221001

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १
(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : बागेश्वर
2 - कोषागार का नाम : कपकोट
3 - देयक की अवधि कब से कब तक
4 - रिकार्ड कोड

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
|---|---|---|

5 - कोषागार/उपकोषागार का कोड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|

6 - देयक पंजी की क्रम संख्या

| | |
|---|---|
| 7 | 9 |
|---|---|

7 - वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8 - मतदेय/भारित

: मतदेय

9 - लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4

मुख्य लेखाशीर्षक +

2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2

उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10 - आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

11 - आहरण वितरण अधिकारी का कोड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|

12 - अधिष्ठान का नाम

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

13 - अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य
Connect अनुदान संख्या

14 - सोर्स कोड : 1

15 - सेक्टर कोड : 2 16 - स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक - (5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04) जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक - (337) सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03) राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04) एन०पी०वी० का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

वाउचर दिनांक

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

बजट की वर्तमान स्थिति

| मानक मद का नाम व कोड | आवंटित कुल बजट | इस बिल को सम्मिलित करते हुए | अवशेष बजट |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 54-भूमि क्रय | 18854304 | 12718666 | 6135638 |

भुगतान का विवरण

| मानक मद का कोड एवं नाम | धनराशि |
|---|----------|
| 54-भूमि क्रय | 35,23,58 |
| 66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद) | 35,23,58 |

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

| | |
|---------------------------|---------|
| 77- सम्पूर्ण कटौतियां | |
| 99 शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 35,23,5 |

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
हस्ताक्षर

(केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के
में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के
प्रयोग हेतु

धनराशि ₹ 35,23,587 (Rupees Thirty Five Lacs Twenty Three Thousand Five Hundred Eighty Seven Only) भुगतान हेतु प
किया जाता है।

अंकगण द्वारा ₹ 0 -

फोटो प्रति सत्यापित

Vorko 51

Date 30/14/21

Bill Type : Normal

Print Date - 30-12-2021

Transaction ID - VP8902422712212030

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १

(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.

कपकोट

1- बजट का नाम
2- कोषागार का नाम
3- देयक की अवधि कब से
4- निवृत्ति कोड
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
6- देयक की कर्म संख्या
7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)
8- मसौदा/भरित
9- लेखाधीन सम्बन्धी 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाधीन
+ 7 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्रोडर
शीर्षक)
10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम
11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड
12- अधिष्ठान का नाम
13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य Connect
अनुदान संख्या

: बागेश्वर
: कपकोट

कब तक

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 8 | 9 | 0 |
| 4 | 6 | |
| 0 | | |

: मतदेय

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

14- सौर कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

| बजट की वर्तमान स्थिति | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| मानक मद का नाम व कोड | आवृत्ति कुल बजट | इस बिल को सम्मिलित करते हुए | अवशेष बजट |
| 54-भूमि क्रय | 18854304 | 18715339 | 138965 |

| भुगतान का विवरण | |
|---|--------|
| मानक मद का कोड एवं नाम | धनराशि |
| 54-भूमि क्रय | 35,23, |
| 66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद) | 35,23, |

ONLY FOR OFFICIAL USE

अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.
कपकोट

| कटौतियों का कोड सहित विवरण | |
|----------------------------|--------|
| 77- सम्पूर्ण कटौतियाँ | |
| 99 शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 35,23, |

| Sl. No. | व्यय सम्बन्धी विवरण | धनराशि ₹० | अभ्युक्ति |
|---------|---|-----------|-----------|
| 1 | 3/28-DEC-2021/Executive Engineer CD PWD Kapkot 1000074 0-TO | 35,23,587 | |
| 66- | सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद | 35,23,587 | |
| 77- | सम्पूर्ण कटौतियाँ | - | |
| 99 | शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 35,23,587 | |

प्रस्तुत किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिये प्रपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.
कपकोट

निर्माण/प्रतिस्थापक अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.
कपकोट

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

₹ 35,23,587 (Rupees Thirty Five Lacs Twenty Three Thousand Five Hundred Eighty Seven Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संलग्नक क्रमांक ₹० -

सकल धनराशि ₹० 35,23,587

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

| Sl. No. | Beneficiary | Account Type | IFSC CODE | Account No | Gross Amount | Total Deduction | Advance Amount | Net Ar |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------|--------|
| 1 | Executive Engineer CD PWD Kapkot | Current | D | | 3523587 | 0 | 0 | 35 |
| | | | | | 3523587 | 0 | 0 | 35 |

फोटो प्रति तय्यापित

Name
 Amount
 Date
 Beneficiary
 SC C
 Pay to
 Bank Name
 Address

This

Head of A/c

AB

Passed for Rs

Passed for Rs. 3523587/-

E.E./AE

AE

FORM-28 HAND RECEIPT

Cash Book Voucher 57

Date 30/12/2021

Pay by Cheque/Cash Rupees (3523587/-) to उत्तराखण्ड सरकार

Paid by me Incharge of Sub-Division दि. ख. लो. नि. वि. क. प. र.

Received from the 3.11.21 Division the sum of Rs. पैटील लाल बेईफा

Name of work or purpose for which payment is made हजार पान्च से सहायता

शुन. नि. वि. जमा करने हेतु जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा पार

मोटर बाग के निर्माण हेतु 2019 ई. 08 वन अधि का प्रो. बानिकी कार्य

Date नि. वि. को प्रदत्त

C/S For Rs. 3523587/-

Witness

अध्यासरी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
कपकोट (बागेश्वर)

Signature of Payee

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
कपकोट (बागेश्वर)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Agency Name. | PWDKAPKOT |
| Application No. | 6127119021 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/57/2018/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar |
| Amount(In Rs) | 3523587/- |

Amount in Words :Thirty-Five Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896127119021
Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India
Lodhi Complex Branch,
Block 11,CGO Complex,
Phase I, Lodhi Road, New
Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through helpdeskampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to cb0371@unionbankofindia.com

U.T.R. R.B.I 0302274463641

27-29-01-2022

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Agency Name. | PWDKAPKOT |
| Application No. | 6127119021 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/57/2018/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar |
| Amount(In Rs) | 3523587/- |

Amount in Words :Thirty-Five Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896127119021
Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India
Lodhi Complex Branch,
Block 11,CGO Complex,
Phase I, Lodhi Road, New
Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोन्नि००१०

W. Hagedorn@edfmail.com; hagedorn.wal.03@gmail.com

卷之四

1618-11

गङ्गा नदी

1922

अथवा अथवा, अथवा अथवा

卷之四

अनुसूचित जाति के पेशेवरों से चीन का दौरा २०१९ में २०१९ - २०२० के लिए अनुमानित है।

三

उत्तरार्द्ध विराट् पुनः ये आदीनां यूनानां विना प्रसारः

[illegible]

06/11/2018/05/07/2018/000000/157 Printed: 15.05.2021

2. உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை

[illegible]

| क्र.सं. | विवरण | प्रमाणित | प्रमाणित | प्रमाणित | प्रमाणित |
|---------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 1 | प्रमाणित | 2.60.00 | 6 | 0.2 | 10.67,000.00 |
| 2 | प्रमाणित | 6.00.00 | — | 3.70,902.00 | 10.08,604.00 |

नोट- विहित धर्म १८२१-२२ के अतिरिक्त धर्मशास्त्र योजना की प्रभाविता निर्धारित न होने के कारण धर्मशास्त्र धर्मशास्त्राचार्य से १० प्रतिशत प्रति ह्रस्व निम्नलिखित नोट विचार किया गया है।



भारत-शिल्प

सुप्रसन्नः सन् प्रत्युत्तरायतः

616

北緯三十七度

SECRET

निर्वाह धामाये जायें

QUESTIONS

THE SCIENCE OF THE MIND AND BEHAVIOR

वचनबद्धता

योजना का नाम:- बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017)।

पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जँहा-जँहा सम्भव हो प्रयोक्ता एजेन्सी परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर वन विभाग द्वारा पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं
किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017)।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का
ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों
पर वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी सहमत है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.519है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 08वी/यू०सी०पी०/०६/५७/२०१८/एफ०सी०/१५७ दिनांक १५.०५.२०२१ से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या दिनांक १६ नवम्बर, २०२४ से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त २.५१९है० वन भूमि की दुगुनी ५.०३८है० भूमि, जो ग्राम बिजोरीझाल, तहसील बागेश्वर के गैर ज०वि०ख०खा०संख्या-१५७ श्रेणी ९(३)ड बंजर काबिल आबाद के खसरा संख्या-५८ रकवा ०.५६३है०, खसरा संख्या-६० रकवा ०.०८८है०, खसरा संख्या-५४२ रकवा ०.२५९है०, खसरा संख्या-५९१ रकवा ०.२७४है०, खसरा संख्या-६४१ रकवा ०.०६५है०, खसरा संख्या-६७१ रकवा ०.६६३है०, खसरा संख्या-७२९ रकवा ०.७२३है०, खसरा संख्या-८९४ रकवा ०.१३१है०, खसरा संख्या-९०१ रकवा ०.१०५है०, खसरा संख्या-१२५३ रकवा ०.११३है० खसरा संख्या-१२६८ रकवा ०.५१०है० खसरा संख्या-१२६९ रकवा ०.१४३है०, खसरा संख्या-१२७१ रकवा ०.२३५है०, खसरा संख्या-१३५४ रकवा ०.५२८है०, खसरा संख्या-१३९७ रकवा ०.३७९है०, खसरा संख्या-१५५८ रकवा ०.५९८है० कुल रकवा ५.०३८है० भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्या: २१७३/ख०वि०(११)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७ दिसम्बर, २०१२ तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक १५.०५.२०२१ में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल ५.०३८है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: नं० /छब्बीस-०२वन(२०-२१)/२०२४-२५ दिनांक २५/०१/२०२५

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

०१. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
०२. उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
०३. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।
०४. तहसीलदार, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

ચારી વિનાશ રબલોની ગ્રામ વિભોરીમાલ ક્ષેત્ર રવાઈલાલા ૦૮૦૦
૧૬ બગોડવર

મોજી - ૨૮૩) ૬ વંચર ખાલિલ આખાર.

નામ

| રબાલા
સં | રબાલોશર ખા
નામ | રબેલ
નં | રબલા
દે | વિવરણ |
|-------------|-------------------|------------|------------|---|
| 57 | બાંધા સં | 22 | 0.009 | <p>વિભાગીય પ્રદેશ બાગોડવર ની કાર્યક્રમ
સં 70/દબ્બીસવન/2024-25 દે. 25-1-2
ની અનુસાર રબેલ સં 58-0.563 દે. રબેલ
નં 60 દે. 0.088 દે. રબેલ સં 542 રબેલ
0.259 દે. રબેલ સં 591 રબેલ 0.274
રબેલ નં 641 રબેલ 0.065 દે. રબેલ
671 રબેલ 0.663 રબેલ સં 729 રબેલ
0.723 દે. રબેલ નં 894 રબેલ 0.131
રબેલ સં 901 રબેલ 0.105 દે. રબેલ
સં 1253 રબેલ 0.113 દે. રબેલ સં 12
રબેલ 0.510 દે. રબેલ સં 1269 રબેલ
0.143 દે. રબેલ સં 1271 રબેલ 0.235
દે. રબેલ સં 1354 રબેલ 0.528 દે. રબેલ
રબેલ સં 1397 રબેલ 0.379 દે. રબેલ
સં 1558 રબેલ 0.598 દે. રબેલ 5.03
કાલિપુર ની બુલારેપન દે. બન વિષયક
નામ દસ્તાવેજ વિગત બાલાઈ.</p> <p>૬૦ પગારી
રવાઈલાલા
7.2.25</p> |
| | | 30 | 0.013 | |
| | | 44 | 0.004 | |
| | | 58 | 0.563 | |
| | | 60 | 0.088 | |
| | | 542 | 0.259 | |
| | | 591 | 0.274 | |
| | | 641 | 0.065 | |
| | | 671 | 0.663 | |
| | | 729 | 0.723 | |
| | | 894 | 0.131 | |
| | | 901 | 0.105 | |
| | | 1253 | 0.113 | |
| | | 1269 | 0.510 | |
| | | 1271 | 0.143 | |
| | | 1354 | 0.528 | |
| | | 1397 | 0.379 | |
| | | 1558 | 0.598 | |
| | | 6010 | 0.008 | |
| | | 6011 | 0.008 | |
| યોગ - | 506 | 26.237 | દે | |

પોતો પ્રતિ સત્યાપિત

સહાયક નિમણતા
નિર્માણ ચાંદ લોનિંદિ
કપકોટ (બાગોડવર)

મહારાજ, લાંબા વિષા.